कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमॉक–23,
59 अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, भोपाल (म.प्र.)

☎:– 0755–2761257 E-mail:-eenvda23@gmail.com

प्रत्र क. /तक/मो.–गं./कायं–23/2018–19 भोपाल, दिनॉक / /2019

प्रति,

1 वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मंण्डल,
होशंगाबाद

2. वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मंण्डल,
हरदा

3. वन मण्डलाधिकारी,
उत्तर वन मण्डल, (सा.)
बैतूल

4. वन मण्डलाधिकारी,
पश्चिम वन मण्डल, (सा.)
बैतूल

विषय : मोरण्ड–गंजाल संयुक्त परियोजना से प्रभावित वन क्षेत्र के लिए वन–व्यपवर्तन प्रकरण (प्रथम चरण) भाग –2

संदर्भ : भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परियोजना की पर्यावरण निकासी **(Environmental Clearance)**

––––000––––

मोरण्ड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना नर्मदा कछार में नर्मदा जल विवाद पंचाट (Narmada Water Dispute Tribunal) द्वारा अनुमोदित 29 वृहद परियोजनाओं में शामिल है। प्रस्तावित परियोजना में नर्मदा की सहायक मोरण्ड एवं गंजाल नदियों पर बॉध बनाक्रर उससे 52,205 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई, कमाण्ड क्षेत्र के 211 गॉव तथा सिवनी मालवा शहर में पेय जल, जलाशयों में मछली उत्पादन आदि अनेक जन हितकारी प्रावधान किये गये है।

मोरण्ड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना से होशंगाबाद, हरदा एवं बैतूल जिलों में जलाशय की डूब में आने वाली, बॉध और नहर निर्माण, खदानों एवं पहुच मार्ग के लिए भूमि एवं प्रभावित आबादी के पुनर्वास तथा पुर्नव्यवस्थापन के लिए आवश्यक भूमि आदि के लिए कुल 2,371.14 हेक्टेयर वन भूमि परियोजना से प्रभावित होगी।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति (EAC to MoEF &CC) की दिनॉक 02 मार्च 2017 की तृतीय बैठक में परियोजना की पर्यावरण निकासी (Environmental Clearance) किये जाने की अनुशंसा की गई है। औपचारिक पर्यावरण निकासी (Environmental Clearance) के लिए आवश्यक वन भूमि व्यपवर्तन (प्रथम चरण) प्रकरण भारत सरकार के मंत्रालय को भेजा जाना है। इसी तारतम्य में वन भूमि (प्रथम चरण) भाग–1 मंत्रालय की वेवसाइट पर 22 फरवरी 2019 को अपलोड किया जा चुका है, एवं वन भूमि व्यपवर्तन भाग –2 पर वन विभाग की अनुशंसा के प्रयोजन के लिए संबंधित अभिलेख एवं नक्शे आपकी ओर इस पत्र के साथ प्रेशित किये जा रहे है।

निरंतर पेज......2

निवेदन है कि प्रस्तुत अभिलेखों/नक्शों के आधार पर अपनी अनुशंसा अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंधक), सतपुडा भवन, भोपाल को शीघ्र भेजने की कृपा करें, ताकि परियोजना को भारत सरकार की पर्यावरण निकासी (Environmental Clearance) प्राप्त हो एवं परियोजना निर्माण की प्रकिया प्रारंभ की जा सके।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार

Sd.
(राजेश हरिदास)
कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग कमॉक–23,
59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, भोपाल

भोपाल, दिनॉक 01/03/2019

पृ.क. 651 तक/मो.–गं./का.यं.–23/2018–19

प्रतिलिपि :–

1. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नर्मदा विकास प्राधिकरण नर्मदा भवन, भोपाल।
2. माननीय सदस्य, (पर्या. एवं वन), नर्मदा विकास प्राधिकरण नर्मदा भवन, भोपाल।
3. माननीय सदस्य, (अभियांत्रिकी), नर्मदा विकास प्राधिकरण नर्मदा भवन, भोपाल।
4. श्रीमान् कलेक्टर महोदय, होशंगाबाद
5. श्रीमान् कलेक्टर महोदय, हरदा
6. श्रीमान् कलेक्टर महोदय, बैतूल
7. मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), सनावद, जिला–खरगोन।
8. अधीक्षण यंत्री, नर्मदा विकास मण्डल कमॉक–08, सनावद, जिला–खरगोन।

की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

आवक
कलेक्टर कार्यालय
होशंगाबाद
05/03/19
हस्ताक्षर
दिनांक :

(राजेश हरिदास)
कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग कमॉक–23,
59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, भोपाल

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमॉक–23,
59 अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, भोपाल (म.प्र.)

☎:– 0755–2761257 E-mail:-eenvda23@gmail.com

प्रत्र क. /तक/मो.–गं./कार्य–23/2018–19 भोपाल, दिनॉक / /2019

प्रति,

1 वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मंण्डल,
होशंगाबाद

2. वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मंण्डल,
हरदा

3. वन मण्डलाधिकारी,
उत्तर वन मण्डल, (सा.)
बैतूल

4. वन मण्डलाधिकारी,
पश्चिम वन मण्डल, (सा.)
बैतूल

विषय : मोरण्ड–गंजाल संयुक्त परियोजना से प्रभावित वन क्षेत्र के लिए वन–व्यपवर्तन प्रकरण (प्रथम चरण) भाग –2

संदर्भ : भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परियोजना की पर्यावरण निकासी **(Environmental Clearance)**

––––000––––

मोरण्ड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना नर्मदा कछार में नर्मदा जल विवाद पंचाट (Narmada Water Dispute Tribunal) द्वारा अनुमोदित 29 वृहद परियोजनाओं में शामिल है। प्रस्तावित परियोजना में नर्मदा की सहायक मोरण्ड एवं गंजाल नदियों पर बॉध बनाकर उससे 52,205 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई, कमाण्ड क्षेत्र के 211 गॉव तथा सिवनी मालवा शहर में पेय जल, जलाशयों में मछली उत्पादन आदि अनेक जन हितकारी प्रावधान किये गये है।

मोरण्ड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना से होशंगाबाद, हरदा एवं बैतूल जिलों में जलाशय की डूब में आने वाली, बॉध और नहर निर्माण, खदानों एवं पहुच मार्ग के लिए भूमि एवं प्रभावित आबादी के पुनर्वास तथा पुर्नव्यवस्थापन के लिए आवश्यक भूमि आदि के लिए कुल 2,371.14 हेक्टेयर वन भूमि परियोजना से प्रभावित होगी।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति (EAC to MoEF &CC) की दिनॉक 02 मार्च 2017 की तृतीय बैठक में परियोजना की पर्यावरण निकासी (Environmental Clearance) किये जाने की अनुशंसा की गई है। औपचारिक पर्यावरण निकासी (Environmental Clearance) के लिए आवश्यक वन भूमि व्यपवर्तन (प्रथम चरण) प्रकरण भारत सरकार के मंत्रालय को भेजा जाना है। इसी तारतम्य में वन भूमि (प्रथम चरण) भाग–1 मंत्रालय की वेवसाइट पर 22 फरवरी 2019 को अपलोड किया जा चुका है, एवं वन भूमि व्यपवर्तन भाग –2 पर वन विभाग की अनुशंसा के प्रयोजन के लिए संबंधित अभिलेख एवं नक्शे आपकी ओर इस पत्र के साथ प्रेशित किये जा रहे है।

निरंतर पेज......2

निवेदन है कि प्रस्तुत अभिलेखों/नक्शों के आधार पर अपनी अनुशंसा अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंधक), सतपुडा भवन, भोपाल को शीघ्र भेजने की कृपा करें, ताकि परियोजना को भारत सरकार की पर्यावरण निकासी (Environmental Clearance) प्राप्त हो एवं परियोजना निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार

-Sd-
(राजेश हरिदास)
कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग क्रमॉक–23,
59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, भोपाल

पृ.क. 657 तक/मो.–गं./का.यं.–23/2018–19 भोपाल, दिनॉक 01/03/2019

प्रतिलिपि :–

1. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नर्मदा विकास प्राधिकरण नर्मदा भवन, भोपाल।
2. माननीय सदस्य, (पर्या. एवं वन), नर्मदा विकास प्राधिकरण नर्मदा भवन, भोपाल।
3. माननीय सदस्य, (अभियांत्रिकी), नर्मदा विकास प्राधिकरण नर्मदा भवन, भोपाल।
4. श्रीमान् कलेक्टर महोदय, होशंगाबाद
5. श्रीमान् कलेक्टर महोदय, हरदा
6. श्रीमान् कलेक्टर महोदय, बैतूल
7. मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), सनावद, जिला–खरगोन।
8. अधीक्षण यंत्री, नर्मदा विकास मण्डल क्रमॉक–08, सनावद, जिला–खरगोन।

की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

(राजेश हरिदास)
कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग क्रमॉक–23,
59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, भोपाल

5/3/19

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमॉक–23, 59 अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, भोपाल (म.प्र.)

☎:– 0755–2761257 E-mail:-eenvda23@gmail.com

प्रत्र क. /तक/मो.–गं./कार्य–23/2018–19 भोपाल, दिनॉक / /2019

प्रति,

1 वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मंण्डल,
होशंगाबाद

2. वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मंण्डल,
हरदा

3. वन मण्डलाधिकारी,
उत्तर वन मण्डल, (सा.)
बैतूल

4. वन मण्डलाधिकारी,
पश्चिम वन मण्डल, (सा.)
बैतूल

विषय : मोरण्ड–गंजाल संयुक्त परियोजना से प्रभावित वन क्षेत्र के लिए वन–व्यपवर्तन प्रकरण (प्रथम चरण) भाग –2

संदर्भ : भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परियोजना की पर्यावरण निकासी **(Environmental Clearance)**

––––000––––

मोरण्ड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना नर्मदा कछार में नर्मदा जल विवाद पंचाट (Narmada Water Dispute Tribunal) द्वारा अनुमोदित 29 वृहद परियोजनाओं में शामिल है। प्रस्तावित परियोजना में नर्मदा की सहायक मोरण्ड एवं गंजाल नदियों पर बॉध बनाकर उससे 52,205 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई, कमाण्ड क्षेत्र के 211 गॉव तथा सिवनी मालवा शहर में पेय जल, जलाशयों में मछली उत्पादन आदि अनेक जन हितकारी प्रावधान किये गये है।

मोरण्ड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना से होशंगाबाद, हरदा एवं बैतूल जिलों में जलाशय की डूब में आने वाली, बॉध और नहर निर्माण, खदानों एवं पहुच मार्ग के लिए भूमि एवं प्रभावित आबादी के पुनर्वास तथा पुर्नव्यवस्थापन के लिए आवश्यक भूमि आदि के लिए कुल 2,371.14 हेक्टेयर वन भूमि परियोजना से प्रभावित होगी।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति (EAC to MoEF &CC) की दिनॉक 02 मार्च 2017 की तृतीय बैठक में परियोजना की पर्यावरण निकासी (Environmental Clearance) किये जाने की अनुशंसा की गई है। औपचारिक पर्यावरण निकासी (Environmental Clearance) के लिए आवश्यक वन भूमि व्यपवर्तन (प्रथम चरण) प्रकरण भारत सरकार के मंत्रालय को भेजा जाना है। इसी तारतम्य में वन भूमि (प्रथम चरण) भाग–1 मंत्रालय की वेवसाइट पर 22 फरवरी 2019 को अपलोड किया जा चुका है, एवं वन भूमि व्यपवर्तन भाग –2 पर वन विभाग की अनुशंसा के प्रयोजन के लिए संबंधित अभिलेख एवं नक्शे आपकी ओर इस पत्र के साथ प्रेशित किये जा रहे है।

निरंतर पेज......2

निवेदन है कि प्रस्तुत अभिलेखों/नक्शों के आधार पर अपनी अनुशंसा अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंधक), सतपुडा भवन, भोपाल को शीघ्र भेजने की कृपा करें, ताकि परियोजना को भारत सरकार की पर्यावरण निकासी (Environmental Clearance) प्राप्त हो एवं परियोजना निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार

-Sd-
(राजेश हरिदास)
कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग कमॉक–23,
59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, भोपाल

पृ.क. 651 तक/मो.–गं./का.यं.–23/2018–19 भोपाल, दिनॉक 01/03/2019

प्रतिलिपि :–

1. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नर्मदा विकास प्राधिकरण नर्मदा भवन, भोपाल।
2. माननीय सदस्य, (पर्या. एवं वन), नर्मदा विकास प्राधिकरण नर्मदा भवन, भोपाल।
3. माननीय सदस्य, (अभियांत्रिकी), नर्मदा विकास प्राधिकरण नर्मदा भवन, भोपाल।
4. श्रीमान् कलेक्टर महोदय, होशंगाबाद
5. श्रीमान् कलेक्टर महोदय, हरदा
6. श्रीमान् कलेक्टर महोदय, बैतूल
7. मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), सनावद, जिला–खरगोन।
8. अधीक्षण यंत्री, नर्मदा विकास मण्डल कमॉक–08, सनावद, जिला–खरगोन।

की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

Haridas
(राजेश हरिदास)
कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग कमॉक–23,
59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, भोपाल

कार्यालय कलेक्टर, हरदा
आवक - शाखा
दिनांक 05/03/19
आवक लिपिक

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमॉक–23, 59 अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, भोपाल (म.प्र.)

☎:– 0755–2761257 E-mail:-eenvda23@gmail.com

प्रत्र क. 650 / तक / मो.–गं. / कार्य–23 / 2018–19 भोपाल, दिनॉक 01 / 03 / 2019

प्रति,

1 वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मंण्डल,
होशंगाबाद

2. वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मंण्डल,
हरदा

3. वन मण्डलाधिकारी,
उत्तर वन मण्डल, (सा.)
बैतूल

4. वन मण्डलाधिकारी,
पश्चिम वन मण्डल, (सा.)
बैतूल

विषय : मोरण्ड–गंजाल संयुक्त परियोजना से प्रभावित वन क्षेत्र के लिए वन–व्यपवर्तन प्रकरण (प्रथम चरण) भाग –2

संदर्भ : भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परियोजना की पर्यावरण निकासी (Environmental Clearance)

––––000––––

मोरण्ड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना नर्मदा कछार में नर्मदा जल विवाद पंचाट (Narmada Water Dispute Tribunal) द्वारा अनुमोदित 29 वृहद परियोजनाओं में शामिल है। प्रस्तावित परियोजना में नर्मदा की सहायक मोरण्ड एवं गंजाल नदियों पर बॉध बनाकर उससे 52,205 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई, कमाण्ड क्षेत्र के 211 गॉव तथा सिवनी मालवा शहर में पेय जल, जलाशयों में मछली उत्पादन आदि अनेक जन हितकारी प्रावधान किये गये है।

मोरण्ड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना से होशंगाबाद, हरदा एवं बैतूल जिलों में जलाशय की डूब में आने वाली, बॉध और नहर निर्माण, खदानों एवं पहुच मार्ग के लिए भूमि एवं प्रभावित आबादी के पुनर्वास तथा पुर्नव्यवस्थापन के लिए आवश्यक भूमि आदि के लिए कुल 2,371.14 हेक्टेयर वन भूमि परियोजना से प्रभावित होगी।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन्न एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति (EAC to MoEF &CC) की दिनॉक 02 मार्च 2017 की तृतीय बैठक में परियोजना की पर्यावरण निकासी (Environmental Clearance) किये जाने की अनुशंसा की गई है। औपचारिक पर्यावरण निकासी (Environmental Clearance) के लिए आवश्यक वन भूमि व्यपवर्तन (प्रथम चरण) प्रकरण भारत सरकार के मंत्रालय को भेजा जाना है। इसी तारतम्य में वन भूमि (प्रथम चरण) भाग–1 मंत्रालय की वेवसाइट पर 22 फरवरी 2019 को अपलोड़ किया जा चुका है, एवं वन भूमि व्यपवर्तन भाग –2 पर वन विभाग की अनुशंसा के प्रयोजन के लिए संबंधित अभिलेख एवं नक्शे आपकी ओर इस पत्र के साथ प्रेशित किये जा रहे है।

निरंतर पेज......2

निवेदन है कि प्रस्तुत अभिलेखों/नक्शों के आधार पर अपनी अनुशंसा अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंधक), सतपुडा भवन, भोपाल को शीघ्र भेजने की कृपा करें, ताकि परियोजना को भारत सरकार की पर्यावरण निकासी (Environmental Clearance) प्राप्त हो एवं परियोजना निर्माण की प्रकिया प्रारंभ की जा सके। वन-व्यपवर्तन प्रकरण (प्रथम चरण) भाग-1 तीन प्रतियों में संलग्न है।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार

Scaudas

(राजेश हरिदास)
कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग क्रमॉक–23,
59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, भोपाल

पृ.क. .... तक/मो.–गं./का.यं.–23/2018–19 भोपाल, दिनॉक ....../...../2019

प्रतिलिपि :–

1. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नर्मदा विकास प्राधिकरण नर्मदा भवन, भोपाल।
2. माननीय सदस्य, (पर्या. एवं वन), नर्मदा विकास प्राधिकरण नर्मदा भवन, भोपाल।
3. माननीय सदस्य, (अभियांत्रिकी), नर्मदा विकास प्राधिकरण नर्मदा भवन, भोपाल।
4. श्रीमान् कलेक्टर महोदय, होशंगाबाद
5. श्रीमान् कलेक्टर महोदय, हरदा
6. श्रीमान् कलेक्टर महोदय, बैतूल
7. मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), सनावद, जिला–खरगोन।
8. अधीक्षण यंत्री, नर्मदा विकास मण्डल क्रमॉक–08, सनावद, जिला–खरगोन।

की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

-Sd-

(राजेश हरिदास)
कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग क्रमॉक–23,
59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, भोपाल

5/3/19

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमॉक–23,
59 अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, भोपाल (म.प्र.)

☎:– 0755–2761257 E-mail:-eenvda23@gmail.com

प्रत्र क 650/तक/मो.–गं./कायं–23/2018–19 भोपाल, दिनॉक 01/03/2019

प्रति,

1. वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मंण्डल,
होशंगाबाद

2. वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मंण्डल,
हरदा

3. वन मण्डलाधिकारी,
उत्तर वन मण्डल, (सा.)
बैतूल

4. वन मण्डलाधिकारी,
पश्चिम वन मण्डल, (सा.)
बैतूल

विषय : मोरण्ड–गंजाल संयुक्त परियोजना से प्रभावित वन क्षेत्र के लिए वन–व्यपवर्तन प्रकरण (प्रथम चरण) भाग –2

संदर्भ : भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परियोजना की पर्यावरण निकासी (Environmental Clearance)

----000----

मोरण्ड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना नर्मदा कछार में नर्मदा जल विवाद पंचाट (Narmada Water Dispute Tribunal) द्वारा अनुमोदित 29 वृहद परियोजनाओं में शामिल है। प्रस्तावित परियोजना में नर्मदा की सहायक मोरण्ड एवं गंजाल नदियों पर बॉध बनाकर उससे 52,205 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई, कमाण्ड क्षेत्र के 211 गॉव तथा सिवनी मालवा शहर में पेय जल, जलाशयों में मछली उत्पादन आदि अनेक जन हितकारी प्रावधान किये गये है।

मोरण्ड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना से होशंगाबाद, हरदा एवं बैतूल जिलों में जलाशय की डूब में आने वाली, बॉध और नहर निर्माण, खदानों एवं पहुच मार्ग के लिए भूमि एवं प्रभावित आबादी के पुनर्वास तथा पुर्नव्यवस्थापन के लिए आवश्यक भूमि आदि के लिए कुल 2,371.14 हेक्टेयर वन भूमि परियोजना से प्रभावित होगी।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति (EAC to MoEF &CC) की दिनॉक 02 मार्च 2017 की तृतीय बैठक में परियोजना की पर्यावरण निकासी (Environmental Clearance) किये जाने की अनुशंसा की गई है। औपचारिक पर्यावरण निकासी (Environmental Clearance) के लिए आवश्यक वन भूमि व्यपवर्तन (प्रथम चरण) प्रकरण भारत सरकार के मंत्रालय को भेजा जाना है। इसी तारतम्य में वन भूमि (प्रथम चरण) भाग–1 मंत्रालय की वेवसाइट पर 22 फरवरी 2019 को अपलोड किया जा चुका है, एवं वन भूमि व्यपवर्तन भाग –2 पर वन विभाग की अनुशंसा के प्रयोजन के लिए संबंधित अभिलेख एवं नक्शे आपकी ओर इस पत्र के साथ प्रेशित किये जा रहे है।

निरंतर पेज......2

निवेदन है कि प्रस्तुत अभिलेखों/नक्शों के आधार पर अपनी अनुशंसा अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंधक), सतपुडा भवन, भोपाल को शीघ्र भेजने की कृपा करें, ताकि परियोजना को भारत सरकार की पर्यावरण निकासी (Environmental Clearance) प्राप्त हो एवं परियोजना निर्माण की प्रकिया प्रारंभ की जा सके। वन – व्यपवर्तन प्रकरण (प्रथम चरण) भाग –1 तीन प्रतियों में संलग्न है।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार

(राजेश हरिदास)
कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग कमॉक–23,
59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, भोपाल

भोपाल, दिनॉक ...... / ..... / 2019

पृ.क. .... तक / मो.–गं. / का.यं.–23 / 2018–19

प्रतिलिपि :–

1. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नर्मदा विकास प्राधिकरण नर्मदा भवन, भोपाल।
2. माननीय सदस्य, (पर्या. एवं वन), नर्मदा विकास प्राधिकरण नर्मदा भवन, भोपाल।
3. माननीय सदस्य, (अभियांत्रिकी), नर्मदा विकास प्राधिकरण नर्मदा भवन, भोपाल।
4. श्रीमान् कलेक्टर महोदय, होशंगाबाद
5. श्रीमान् कलेक्टर महोदय, हरदा
6. श्रीमान् कलेक्टर महोदय, बैतूल
7. मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), सनावद, जिला–खरगोन।
8. अधीक्षण यंत्री, नर्मदा विकास मण्डल कमॉक–08, सनावद, जिला–खरगोन।

की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

-Sd-
(राजेश हरिदास)
कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग कमॉक–23,
59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, भोपाल

Divisional Forest Officer
5/3/19

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमॉक–23, 59 अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, भोपाल (म.प्र.)

☎:– 0755–2761257 E-mail:-eenvda23@gmail.com

प्रत्र क. 650 /तक/मो.–गं./कायं–23/2018–19 भोपाल, दिनॉक 01 /03/2019

प्रति,

1 वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मंण्डल,
होशंगाबाद

2. वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मंण्डल,
हरदा

3. वन मण्डलाधिकारी,
उत्तर वन मण्डल, (सा.)
बैतूल

4. वन मण्डलाधिकारी,
पश्चिम वन मण्डल, (सा.)
बैतूल

कार्यालय उत्तर वनमंडल (सा.) आवक क्र. 5/3/19 बैतूल (म.प्र.)

विषय : मोरण्ड–गंजाल संयुक्त परियोजना से प्रभावित वन क्षेत्र के लिए वन–व्यपवर्तन प्रकरण (प्रथम चरण) भाग –2

संदर्भ : भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परियोजना की पर्यावरण निकासी **(Environmental Clearance)**

----000----

मोरण्ड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना नर्मदा कछार में नर्मदा जल विवाद पंचाट (Narmada Water Dispute Tribunal) द्वारा अनुमोदित 29 वृहद परियोजनाओं में शामिल है। प्रस्तावित परियोजना में नर्मदा की सहायक मोरण्ड एवं गंजाल नदियों पर बॉध बनाकर उससे 52,205 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई, कमाण्ड क्षेत्र के 211 गॉव तथा सिवनी मालवा शहर में पेय जल, जलाशयों में मछली उत्पादन आदि अनेक जन हितकारी प्रावधान किये गये है।

मोरण्ड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना से होशंगाबाद, हरदा एवं बैतूल जिलों में जलाशय की डूब में आने वाली, बॉध और नहर निर्माण, खदानों एवं पहुच मार्ग के लिए भूमि एवं प्रभावित आबादी के पुनर्वास तथा पुर्नव्यवस्थापन के लिए आवश्यक भूमि आदि के लिए कुल 2,371.14 हेक्टेयर वन भूमि परियोजना से प्रभावित होगी।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति (EAC to MoEF &CC) की दिनॉक 02 मार्च 2017 की तृतीय बैठक में परियोजना की पर्यावरण निकासी (Environmental Clearance) किये जाने की अनुशंसा की गई है। औपचारिक पर्यावरण निकासी (Environmental Clearance) के लिए आवश्यक वन भूमि व्यपवर्तन (प्रथम चरण) प्रकरण भारत सरकार के मंत्रालय को भेजा जाना है। इसी तारतम्य में वन भूमि (प्रथम चरण) भाग–1 मंत्रालय की वेवसाइट पंर 22 फरवरी 2019 को अपलोड किया जा चुका है, एवं वन भूमि व्यपवर्तन भाग –2 पर वन विभाग की अनुशंसा के प्रयोजन के लिए संबंधित अभिलेख एवं नक्शे आपकी ओर इस पत्र के साथ प्रेशित किये जा रहे हैं।

निरंतर पेज......2

निवेदन है कि प्रस्तुत अभिलेखों / नक्शों के आधार पर अपनी अनुशंसा अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंधक), सतपुडा भवन, भोपाल को शीघ्र भेजने की कृपा करें, ताकि परियोजना को भारत सरकार की पर्यावरण निकासी (Environmental Clearance) प्राप्त हो एवं परियोजना निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके। वन-व्यपवर्तन प्रकरण (प्रथम चरण) भाग-1 तीन प्रतियों में संलग्न है।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार

(राजेश हरिदास)
कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग कमॉक–23,
59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, भोपाल

पृ.क. .... तक / मो.–गं. / का.यं.–23 / 2018–19 भोपाल, दिनॉक ...... / ..... / 2019

प्रतिलिपि :–

1. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नर्मदा विकास प्राधिकरण नर्मदा भवन, भोपाल।
2. माननीय सदस्य, (पर्या. एवं वन), नर्मदा विकास प्राधिकरण नर्मदा भवन, भोपाल।
3. माननीय सदस्य, (अभियांत्रिकी), नर्मदा विकास प्राधिकरण नर्मदा भवन, भोपाल।
4. श्रीमान् कलेक्टर महोदय, होशंगाबाद
5. श्रीमान् कलेक्टर महोदय, हरदा
6. श्रीमान् कलेक्टर महोदय, बैतूल
7. मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), सनावद, जिला–खरगोन।
8. अधीक्षण यंत्री, नर्मदा विकास मण्डल कमॉक–08, सनावद, जिला–खरगोन।

की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

-Sd-
(राजेश हरिदास)
कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग कमॉक–23,
59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, भोपाल

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमॉक–23, 59 अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, भोपाल (म.प्र.)

☎:– 0755–2761257 *E-mail:-eenvda23@gmail.com*

प्रत्र क. 650 / तक / मो.–गं. / कायं–23 / 2018–19 भोपाल, दिनॉक 01 / 03 / 2019

प्रति,

1 वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मंण्डल,
होशंगाबाद

2. वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मंण्डल,
हरदा

3. वन मण्डलाधिकारी,
उत्तर वन मण्डल, (सा.)
बैतूल

4. वन मण्डलाधिकारी,
पश्चिम वन मण्डल, (सा.)
बैतूल

विषय : मोरण्ड–गंजाल संयुक्त परियोजना से प्रभावित वन क्षेत्र के लिए वन–व्यपवर्तन प्रकरण (प्रथम चरण) भाग –2

संदर्भ : भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परियोजना की पर्यावरण निकासी **(Environmental Clearance)**

----000----

मोरण्ड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना नर्मदा कछार में नर्मदा जल विवाद पंचाट (Narmada Water Dispute Tribunal) द्वारा अनुमोदित 29 वृहद परियोजनाओं में शामिल है। प्रस्तावित परियोजना में नर्मदा की सहायक मोरण्ड एवं गंजाल नदियों पर बॉध बनाकर उससे 52,205 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई, कमाण्ड क्षेत्र के 211 गॉव तथा सिवनी मालवा शहर में पेय जल, जलाशयों में मछली उत्पादन आदि अनेक जन हितकारी प्रावधान किये गये है।

मोरण्ड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना से होशंगाबाद, हरदा एवं बैतूल जिलों में जलाशय की डूब में आने वाली, बॉध और नहर निर्माण, खदानों एवं पहुच मार्ग के लिए भूमि एवं प्रभावित आबादी के पुनर्वास तथा पुर्नव्यवस्थापन के लिए आवश्यक भूमि आदि के लिए कुल 2,371.14 हेक्टेयर वन भूमि परियोजना से प्रभावित होगी।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति (EAC to MoEF &CC) की दिनॉक 02 मार्च 2017 की तृतीय बैठक में परियोजना की पर्यावरण निकासी (Environmental Clearance) किये जाने की अनुशंसा की गई है। औपचारिक पर्यावरण निकासी (Environmental Clearance) के लिए आवश्यक वन भूमि व्यपवर्तन (प्रथम चरण) प्रकरण भारत सरकार के मंत्रालय को भेजा जाना है। इसी तारतम्य में वन भूमि (प्रथम चरण) भाग–1 मंत्रालय की वेवसाइट पर 22 फरवरी 2019 को अपलोड किंया जा चुका है, एवं वन भूमि व्यपवर्तन भाग –2 पर वन विभाग की अनुशंसा के प्रयोजन के लिए संबंधित अभिलेख एवं नक्शे आपकी ओर इस पत्र के साथ प्रेशित किये जा रहे है।

निरंतर पेज......2

निवेदन है कि प्रस्तुत अभिलेखों/नक्शों के आधार पर अपनी अनुशंसा अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंधक), सतपुडा भवन, भोपाल को शीघ्र भेजने की कृपा करें, ताकि परियोजना को भारत सरकार की पर्यावरण निकासी (Environmental Clearance) प्राप्त हो एवं परियोजना निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके। वन-व्यपवर्तन प्रकरण (प्रथम चरण) भाग-1 तीन प्रतियों में संलग्न है

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार

Hariclas

(राजेश हरिदास)
कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग क्रमॉक–23,
59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, भोपाल

पृ.क. .... तक/मो.–गं./का.यं.–23/2018–19 भोपाल, दिनॉक ...../...../2019

प्रतिलिपि :–

1. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नर्मदा विकास प्राधिकरण नर्मदा भवन, भोपाल।
2. माननीय सदस्य, (पर्या. एवं वन), नर्मदा विकास प्राधिकरण नर्मदा भवन, भोपाल।
3. माननीय सदस्य, (अभियांत्रिकी), नर्मदा विकास प्राधिकरण नर्मदा भवन, भोपाल।
4. श्रीमान् कलेक्टर महोदय, होशंगाबाद
5. श्रीमान् कलेक्टर महोदय, हरदा
6. श्रीमान् कलेक्टर महोदय, बैतूल
7. मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), सनावद, जिला–खरगोन।
8. अधीक्षण यंत्री, नर्मदा विकास मण्डल क्रमॉक–08, सनावद, जिला–खरगोन।

की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

-Sd-

(राजेश हरिदास)
कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग क्रमॉक–23,
59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, भोपाल